भाग–3

विकलांगजनों के लिए योजनाऐं

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाऐं

(क) विकलांगजन हेतू एकीकृत योजना सहयोग

राज्य सरकार ने विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–2009 में सहयोग नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना अधिसूचित की है। इस योजना के निम्न घटक हैः–

(1) सर्वेक्षण, शीघ्र पहचान एवं अनुसंधान

SURVEY, EARLY DETECTION AND RESERCH

उद्‌देश्य विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता की प्रतिशतता, उनके आर्थिक व शैक्षणिक स्तर की स्थिति तथा विकलांग राहत भत्ता व विकलांगता पहचान पत्रों से सम्बन्धित तथ्यों की सही जानकारी इत्यादि का आंकलन करना। इस के अतिरिक्त विकलांगता के कारणों का पता लगाने व विकलांगता निवारण के लिए अनुसंधान करना।

पात्रता विकलांगता के शीघ्र निवारण हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा हर वर्ष 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों की चिकित्सा जांच 31 अक्तूबर से पूर्व पूर्ण की जाएगी। अनुसंधान हेतु विश्व विद्यालय, गैर सरकारी संगठन व अन्य संस्थाएं जिन्हें मामले में अच्छा ज्ञान हो, सहायता की पात्र होगी।

सहायता विकलांगता की शीघ्र पहचान व निवारण हेतु आवश्यक अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय/स्वंय सेवी संस्थाओं को अनुदान व चिकित्सा शिविरों के आयोजन हेतु धनराशि।

सम्पर्क–अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।